

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर(भीलवाडा)


नरेन्द्र सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत नि. भरणीकलां वगैराह

बनाम

विजय सिंह पिता गोपाल सिंह राजपूत नि. भरणीकलां वगैरा

किरम मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 39 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
04.04.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से वाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम भरणीकलां प. ह. भरणीकलां तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 417, 420, 610, 7/2, 719, 758, 759, 762, 763, 764, 765, 777, 787, 788 कुल किता 14 रकबा 12.6360 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम भरणीकलां प. ह. भरणीकलां तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 417, 420, 610, 7/2, 719, 758, 759, 762, 763, 764, 765, 777, 787, 788 कुल किता 14 रकबा 12.6360 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 04.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा
क्रमांक/रीडर/2023/39/2023 दिनांक :- 04.04.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 39 /23 अनवान नरेन्द्र सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत, महेन्द्र सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत, शिवचन्द्रसिंह पिता नारायण सिंह राजपूत नि. भरणीकलां बनाम विजय सिंह पिता गोपाल सिंह राजपूत, बहादुर सिंह पिता गोपाल, इन्द्र सिंह पिता गोपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह/गोपाल सिंह राजपूत, बंशीलाल पिता जेठमल शर्मा, प्रतापसिंह पिता बालू सिंह राजपूत राजपूत, जोधराज पिता जसवन्त सिंह राजपूत, चन्द्रभान सिंह पिता गोद पिता शंकर सिंह राजपूत, लादू सिंह पिता उदय सिंह राजपूत, नारायण पिता हरला रेगर, शिवराज पिता उगमा रेगर रेगर, नाथू पिता माना रेगर, तेजसिंह पिता फतेहसिंह राजपूत, मनोहर सिंह पिता मदन सिंह राजपूत, भवानी सिंह पिता शम्भू सिंह राजपूत, पृथ्वीसिंह पिता शम्भू सिंह राजपूत, दुर्गालाल पिता लादूलाल सेन, किशन सिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत, सज्जनसिंह पिता गुलाब सिंह राजपूत, कालू सिंह पिता कल्याण सिंह राजपूत, कल्याण पिता हरदेव रेगर, माहराम पिता देवीलाल धाकड़, देवकरण पिता खाना बलाई, भूरा पिता गंगाराम बलाई, रामनिवास पिता मोडू धाकड़, कैलाशी देवी पत्नि रतना दरोगा, ओमप्रकाश पिता मदन लाल भंसाली, गोपाल पिता बीरमा रेगर, हजारी पिता धन्ना रेगर, राजू पिता रतना रेगर, बंशी पिता भैरू रेगर, निवासी - भरणीकलां, हरिराम पिता कजोड़ मीणा निवासी नयागांव वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम भरणीकलां प. ह. भरणीकलां तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 417, 420, 610, 7/2, 719, 758, 759, 762, 763, 764, 765, 777, 787, 788 कुल किता 14 रकबा 12.6360 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक रोंपा को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 2500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)